

अंतिम-डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी - श्री सुखाराम पिण्डेल (आर०ए०एस)

प्रकरण संख्या- 64 / 2021

जीसीएमएस- 2021 / 253

दायर दिनांक- 29.12.2021

निर्णय दिनांक- 18.01.2023

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्री हरजीराम पुत्र बगसाराम जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा जाटान तहसील मेडता जिला नागौर।

1. अर्जुनसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कडैल, पुष्कर।
2. उमेश जोशी पत्नी राजेंद्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी पटेलनगर, तोपदडा, अजमेर।
3. कल्पना अरोडा पत्नी मनीष अरोडा जाति अरोडा निवासी पीसांगन, अजमेर।
4. कालूराम प्रजापत पुत्र गुलाबचंद प्रजापत जाति कुम्हार निवासी डांगावास, नागौर।
5. टोडरमल पुत्र सुगनलाल जाति कुम्हार प्रजापति निवासी थांवला, रियांबडी, अजमेर।
6. दिनेश कुमार पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी कुरडया तहसील मेडता, नागौर।
7. भंवरसिंह पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत निवासी डूंगरियाकलां, पुष्कर, अजमेर।
8. मोहन पुत्र रूपाराम जाति खाती निवासी भादवा, परबतसर, नागौर।
9. रामजीवन पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी बच्छवास जिला नागौर।
10. सुनील कुमार पुत्र पुष्करनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बडी बस्ती, पुष्कर, अजमेर।
11. सरोज कुमारी पत्नी हंसराज जाति दर्जी निवासी गोविंदगढ़, पीसांगन, अजमेर।
12. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।



वाद-पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति- 1. श्री एस०के० चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

2. प्रतिवादी सं० 02 एवं 11 स्वयं उपस्थित।

3. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

A—
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)



--: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 की सहखातेदारी/सहकाशकारी की आराजीयात ग्राम तिलोरा पटवार हल्का तिलोरा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नांद तहसील पुष्कर में अवस्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

खाता संख्या नया/पुराना	खसरा नंबर	रकबा (हैक्ट0)	किस्म
433	2464 / 2534	0.12	चाही 1
	2465 / 2533	0.19	चाही 1
	2488	0.28	चाही 1

उक्त वादीग्रस्त आराजीयात में वादी का 689/5900 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 01 लगायत 11 प्रत्येक का पृथक्-पृथक् हिस्सा निहित है जिस पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के वारिसान अपने-अपने हिस्से पर काबिज काशत चले आ रहे हैं, जो कि जमाबंदी संवत् 2072-2075 से स्वयं सिद्ध है। वादग्रस्त आराजी का आज दिनांक तक मौके पर विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त आराजी पर शामलात रूप से कृषि किया जाना संभव नहीं है क्योंकि मौके पर वादग्रस्त आराजीयात की हकबन्दी को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है अतः वादी द्वारा उक्त भूमि का उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाय मिंटस एंड बाउंडस विधिक विभाजन किया जाकर तदानुसार मौके एवं राजस्व रिकार्ड में पालना करवायी जाने की घोषणात्मक आज्ञापति हेतु यह वाद-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर वादी के वाद-पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में दिनांक 18.04.2022 को प्रतिवादी संख्या 02 एवं 11 स्वयं उपस्थित होकर मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार बंटवारे हेतु अपनी हस्ताक्षरमय सहमति प्रदान की। दिनांक 11.07.2022 को प्रतिवादी संख्या 03, 05 लगायत 06, 08 लगायत 10 एवं दिनांक 10.10.2022 को प्रतिवादी सं0 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 17.10.2022 को प्रतिवादी सं0 01 एवं 07 को पर्याप्त एवं समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद जवाब-दावा पेश नहीं करने के कारण इनके खिलाफ जवाब-बंद की कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात् दिनांक 23.11.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्रांक/तह.पु/भू.अ./2023/202 दिनांक 17.01.2023 के माध्यम से कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा रंग भरकर पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार, पुष्कर द्वारा प्रस्तावित बंटवारानामा की सूचना वादी अभिभाषक एवं उपस्थित प्रतिवादीगण को प्रदान कर पत्रावली को अंतिम बहस हेतु नियत की गई। वादी अभिभाषक एवं उपस्थित प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार, पुष्कर द्वारा प्रस्तावित बंटवारानामा पर सहमति जाहिर कर अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

हमने वादी अभिभाषक व उपस्थित प्रतिवादीगण एवं पैरोकार सरकार की उपस्थिति में बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में पक्षकारान अपने-अपने हक हिस्से का विभाजन अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अध्यक्षीन कराये जाने के

A-13.01.23

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

अधिकारी है ऐसी स्थिति में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा तिलोरा तहसील पुष्कर की आराजीयात खाता संख्या 433 वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है, का विभाजन किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार तहसीलदार पुष्कर के संलग्न नक्शा ट्रेस व मौका पर्चा (कुर्रेजात रिपोर्ट) अनुसार बने निम्न प्रकार के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :-

क्रम सं०	खातेदार का नाम	खसरा नं०	रकबा (हेक्ट०)	किस्म	नक्शे में रंग	
1.	1. हरजीराम पुत्र बगसाराम जाति जाट सा० लाम्बा जाटान तह० मेडता सिटी, खातेदार	2488 / 1	0.0649	चाही 1	नारंगी	
		2464 / 2534 / 1	0.0040	चाही 1		
	कुल	किता 02	0.0689	-	-	
2.	1. अर्जुनसिंह पि० अमरसिंह हिस्सा 165 / 5211 जाति राजपुरोहित सा० कडैल, तह० पुष्कर। 2. उमेश जोशी पत्नी राजेन्द्र कुमार हिस्सा 367 / 5211 जाति ब्राह्मण सा० पटेल नगर तोपदडा, अजमेर। 3. कल्पना अरोडा पत्नी मनीष अरोडा हिस्सा 305 / 5211 जाति अरोडा सा० खत्री मोहल्ला, पीसांगन, खातेदार। 4. कालुराम प्रजापत पुत्र गुलाबराम हिस्सा 215 / 5211 जाति कुम्हार सा० डांगावास। 5. टोडरमल पुत्र सुगनलाल हिस्सा 176 / 5211 जाति कुम्हार सा० थांवला, तह० डेगाना	2488 / 2	0.2051	चाही 1	हरा	
		2488 / 3	0.0100	गै.मु.रास्ता	नीला	
		2464 / 2534 / 3	0.0980	चाही 1	हरा	
		2464 / 2534 / 2	0.0180	गै.मु.रास्ता	नीला	
		2465 / 2533 / 1	0.0900	चाही 1	हरा	
		2465 / 2533 / 2	0.0140	गै.मु.रास्ता	नीला	
		2465 / 2533 / 3	0.0860	चाही 1	हरा	



A
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)
18.01.23



जिला नागौर। 6. दिनेश कुमार पुत्र रतनाराम हिस्सा 676/5211 जाति जाट सा0 कुरडाया तह0 मेडता सिटी, नागौर।				
7. भंवरसिंह पुत्र छीतरसिंह हिस्सा 165/5211 जाति राजपूत सा0 डूंगरियां कला तह0 पुष्कर।				
8. मोहन पुत्र रूपाराम हिस्सा 124/5211 जाति खाती सा0 खातियों का मोहल्ला, ग्राम भादवा तह0 परबतसर जिला नागौर।				
9. रामजीवण पुत्र आशाराम हिस्सा 2625/5211 जाति जाट सा0 बच्छवास।				
10. सुनील कुमार पुत्र पुष्कर नारायण हिस्सा 214/5211 जाति ब्राह्मण सा0 ग्राम कपडा बाजार, बड़ी बस्ती, पुष्कर।				
11. सरोज कुमारी पत्नी हंसराज हिस्सा 179/5211 जाति दर्जी सा0 गोविंदगढ तह0 पीसांगन, खातेदार।				
कुल	किता 7	0.5211	-	-

उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा

A
18/01/23
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)


जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते हैं। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।



सुखाराम पिण्डेल
उप-तहसीलदार (अ.स.)
पुष्कर (अजमेर)
18-01-23

जगन् नन्दा विद्यावा
 याद विनोद
 लक्ष्मण
 निवा अजमेर



संकेत



हरजीराम



अर्जुनलाल वर्मा



शाफ़ात बाना



P-35 अजमेर 58
 16/1-23
 4
 प. विनोद

हरजीराम

कशरथ

मानमवतार

पुष्कर

तहसीलदार (भू.अ.)
 पुष्कर (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
 पुष्कर (अजमेर)

पचा-डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर

पीठासीन अधिकारी - श्री सुखाराम पिण्डेल (आर०ए०एस)

प्रकरण संख्या- 64 / 2021

जीसीएमएस- 2021 / 253

दायर दिनांक- 29.12.2021

निर्णय दिनांक- 18.01.2023

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्री हरजीराम पुत्र बगसाराम जाति जाट निवासी ग्राम लाम्बा जाटान तहसील मेडता जिला नागौर।		1. अर्जुनसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कडैल, पुष्कर। 2. उमेश जोशी पत्नी राजेंद्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी पटेलनगर, तोपदडा, अजमेर। 3. कल्पना अरोडा पत्नी मनीष अरोडा जाति अरोडा निवासी पीसांगन, अजमेर। 4. कालूराम प्रजापत पुत्र गुलाबचंद प्रजापत जाति कुम्हार निवासी डांगावास, नागौर। 5. टोडरमल पुत्र सुगनलाल जाति कुम्हार प्रजापति निवासी थावला, रियांबडी, अजमेर। 6. दिनेश कुमार पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी कुरडया तहसील मेडता, नागौर। 7. भंवरसिंह पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत निवासी डूंगरियाकलां, पुष्कर, अजमेर। 8. मोहन पुत्र रूपाराम जाति खाती निवासी भादवा, परबतसर, नागौर। 9. रामजीवन पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी बच्छवास जिला नागौर। 10. सुनील कुमार पुत्र पुष्करनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बड़ी बस्ती, पुष्कर, अजमेर। 11. सरोज कुमारी पत्नी हंसराज जाति दर्जी निवासी गोविंदगढ़, पीसांगन, अजमेर। 12. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।



वाद-पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- उपस्थिति- 1. श्री एस०के०चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. प्रतिवादी सं० 02 एवं 11 स्वयं उपस्थित।
3. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर।

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)
18.01.23

--: अंतिम-डिक्री मुकदमा इबताई :-

वादी का वाद बाबत बंटवाड़ा, स्थाई निषेधाज्ञा को संलग्न नक्शा ट्रेस व (कुर्रेजात रिपोर्ट) के आधार पर स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी की जाती है। विभाजन आराजीयात को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर के खाता संख्या 433 के लिए विभाजन निम्नानुसार है-

क्रम सं०	खातेदार का नाम	खसरा नं०	रकबा (हैक्ट०)	किस्म	नक्शे में रंग	
1.	1. हरजीराम पुत्र बगसारा जाति जाट सा० लाम्बा जाटान तह० मेडता सिटी, खातेदार	2488 / 1	0.0649	चाही 1	नारंगी	
		2464 / 2534 / 1	0.0040	चाही 1		
	कुल	किता 02	0.0689	-	-	
2.	1. अर्जुनसिंह पि० अमरसिंह हिस्सा 165 / 5211 जाति राजपुरोहित सा० कडैल, तह० पुष्कर। 2. उमेश जोशी पत्नी राजेन्द्र कुमार हिस्सा 367 / 5211 जाति ब्राह्मण सा० पटेल नगर तोपदडा, अजमेर। 3. कल्पना अरोडा पत्नी मनीष अरोडा हिस्सा 305 / 5211 जाति अरोडा सा० खत्री मोहल्ला, पीसांगन, खातेदार। 4. कालुराम प्रजापत पुत्र गुलाबराम हिस्सा 215 / 5211 जाति कुम्हार सा० डांगावास। 5. टोडरमल पुत्र सुगनलाल हिस्सा 176 / 5211 जाति कुम्हार सा० थांवला, तह० डेगाना	2488 / 2	0.2051	चाही 1	हरा	
		2488 / 3	0.0100	गै.मु.रास्ता	नीला	
		2464 / 2534 / 3	0.0980	चाही 1	हरा	
		2464 / 2534 / 2	0.0180	गै.मु.रास्ता	नीला	
		2465 / 2533 / 1	0.0900	चाही 1	हरा	
		2465 / 2533 / 2	0.0140	गै.मु.रास्ता	नीला	
		2465 / 2533 / 3	0.0860	चाही 1	हरा	



 उपखण्ड अधिकारी
 पुष्कर (अजमेर)

	जिला नागौर। 6. दिनेश कुमार पुत्र रतनाराम हिस्सा 676/5211 जाति जाट सा0 कुरडाया तह0 मेडता सिटी, नागौर। 7. भंवरसिंह पुत्र छीतरसिंह हिस्सा 165/5211 जाति राजपूत सा0 डूंगरियां कला तह0 पुष्कर। 8. मोहन पुत्र रूपाराम हिस्सा 124/5211 जाति खाती सा0 खातियों का मोहल्ला, ग्राम भादवा तह0 परबतसर जिला नागौर। 9. रामजीवण पुत्र आशाराम हिस्सा 2625/5211 जाति जाट सा0 बच्छवास। 10. सुनील कुमार पुत्र पुष्कर नारायण हिस्सा 214/5211 जाति ब्राह्मण सा0 ग्राम कपडा बाजार, बड़ी बस्ती, पुष्कर। 11. सरोज कुमारी पत्नी हंसराज हिस्सा 179/5211 जाति दर्जी सा0 गोविंदगढ तह0 पीसांगन, खातेदार।				
	कुल	किता 7	0.5211	-	-

उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते हैं। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।



सुखाराम पिण्डेल
उप(आर०ए०एसि)कारी
पुष्कर (अजमेर)
18-01-23